# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 399 / 2026

अनवान : –

1. चुनीराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. आदराम पुत्र बंशीलाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

– **वादीगण**

**बनाम्**

1. मुंशीराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. शिशपाल पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर ।
3. मोहनलाल पुत्र बंशीलाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
4. रोहिताष कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
5. सरबती पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
6. तारूराम पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**

**पेरोकार राज**

**निर्णय** दिनांकः 26/05/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 64 / 71 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 11.5350 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 67 / 74 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 9.6550 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज है व खाता संख्या 109 / 119 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 9.7060 है0 भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादीगण वाद भूमि में आपसी सहमति से निम्न प्रकार से काबिज है :–

भूमि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खसरा नं. 258 / 1 की 0.155 है0, 258 / 2 की 0.605 है0, 259 में से 1.835 है0, 307 में से 0.70 है0 306 / 2 में से 0.120 है0, 306 / 3 में से 0.13 है0, 135 / 2 की 0.75 है0, 162 / 2 की 2.747 है0 व खसरा नं. 322 / 1 की 2.664 है0 भूमि कुल किता 9 की कुल तादादी 9.706 है0 भूमि में से 2 / 3 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1 / 6 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व शेष 1 / 6 हिस्सा पर प्रतिवादीया संख्या 5 काबिज है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खसरा नं. 307 में से 2.235 है0, 306/3 में से 0.47 है0, 306/2 में से 0.83 है0, 135/4 की 0.75 है0, 162/4 की 2.747 है0, 165/2 की 0.721 है0, 165/3 की 1.132 है0 व खसरा नं. 322/2 की 2.65 है0 कुल किता 8 की कुल तादादी 11.535 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 अकेला काबिज है।

भूमि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खसरा नं. 262 की 1.113 है0, 259 में से 1.555 है0, 306/2 में से 0.82 है0, 135/3 की 0.416 है0, 161 की 0.354 है0, 162/3 की 2.747 है0 व खसरा नं. 322/3 की 2.65 है0 कुल किता 7 की कुल तादादी 9.655 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है।

वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादीगण वाद भूमि में आपसी सहमति से निम्न प्रकार से काबिज है :- रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खसरा नं. 258/1 की 0.155 है0, 258/2 की 0.605 है0, 259 में से 1.835 है0, 307 में से 0.70 है0 306/2 में से 0.120 है0, 306/3 में से 0.13 है0, 135/2 की 0.75 है0, 162/2 की 2.747 है0 व खसरा नं. 322/1 की 2.664 है0 भूमि कुल किता 9 की कुल तादादी 9.706 है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/6 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4



Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काबिज है व शेष 1/6 हिस्सा पर प्रतिवादीया संख्या 5 काबिज है। रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खसरा नं. 307 में से 2.235 है0, 306/3 में से 0.47 है0, 306/2 में से 0.83 है0, 135/4 की 0.75 है0, 162/4 की 2.747 है0, 165/2 की 0.721 है0, 165/3 की 1.132 है0 व खसरा नं. 322/2 की 2.65 है0 कुल किता 8 की कुल तादादी 11.535 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 अकेला काबिज है। रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खसरा नं. 262 की 1.113 है0, 259 में से 1.555 है0, 306/2 में से 0.82 है0, 135/3 की 0.416 है0, 161 की 0.354 है0, 162/3 की 2.747 है0 व खसरा नं. 322/3 की 2.65 है0 कुल किता 7 की कुल तादादी 9.655 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 64/71 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 11.5350 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 67/74 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 9.6550 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज है व खाता संख्या 109/119 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 9.7060 है0 भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वाद भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण का उपरोक्तानुसार बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 64/71 के कुल

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरे 7 की कुल तादादी 11.5350 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 67/74 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 9.6550 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज है व खाता संख्या 109/119 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 9.7060 है0 भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है के बजाय खसरा नं. 258/1 की 0.155 है0, 258/2 की 0.605 है0, 259 में से 1.835 है0, 307 में से 0.70 है0 306/2 में से 0.120 है0, 306/3 में से 0.13 है0, 135/2 की 0.75 है0, 162/2 की 2.747 है0 व खसरा नं. 322/1 की 2.664 है0 भूमि कुल किता 9 की कुल तादादी 9.706 है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 को ब0 हि0 ब0 के व 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को व शेष 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 307 में से 2.235 है0, 306/3 में से 0.47 है0, 306/2 में से 0.83 है0, 135/4 की 0.75 है0, 162/4 की 2.747 है0, 165/2 की 0.721 है0, 165/3 की 1.132 है0 व खसरा नं. 322/2 की 2.65 है0 कुल किता 8 की कुल तादादी 11.535 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 262 की 1.113 है0, 259 में से 1.555 है0, 306/2 में से 0.82 है0, 135/3 की 0.416 है0, 161 की 0.354 है0, 162/3 की 2.747 है0 व खसरा नं. 322/3 की 2.65 है0 कुल किता 7 की कुल तादादी 9.655 है0 भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनो को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 399 / 2026

अनवान : –

1. चुनीराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. आदराम पुत्र बंशीलाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

**– वादीगण**

**बनाम्**

1. मुंशीराम पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. शिशपाल पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर ।
3. मोहनलाल पुत्र बंशीलाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
4. रोहिताष कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
5. सरबती पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
6. तारूराम पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमागनढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 399 सन 2026 निर्णय दिनांक** 26/05/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 64/71 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 11.5350 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 67/74 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 9.6550 है0 भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के ब0 हि0 ब0 दर्ज है व खाता संख्या 109/119 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 9.7060 है0 भूमि वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है के बजाय खसरा नं. 258/1 की 0.155 है0, 258/2 की 0.605 है0, 259 में से 1.835 है0, 307 में से 0.70 है0 306/2 में से 0.120 है0, 306/3 में से 0.13 है0, 135/2 की 0.75 है0, 162/2 की 2.747 है0 व खसरा नं. 322/1 की 2.664 है0 भूमि कुल किता 9 की कुल तादादी 9.706 है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 को ब0 हि0 ब0 के व 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को व शेष 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 307 में से 2.235 है0, 306/3 में से 0.47 है0, 306/2 में से 0.83 है0, 135/4 की 0.75 है0, 162/4 की 2.747 है0, 165/2 की 0.721 है0, 165/3 की 1.132 है0 व खसरा नं. 322/2 की 2.65 है0 कुल किता 8 की कुल तादादी 11.535 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 262 की 1.113 है0, 259 में से 1.555 है0, 306/2 में से 0.82 है0, 135/3 की 0.416 है0, 161 की 0.354 है0, 162/3 की 2.747 है0 व खसरा नं. 322/3 की 2. 65 है0 कुल किता 7 की कुल तादादी 9.655 है0 भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनो को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..26/05/2026..को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

**(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)**
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर नोहर**